

सीआरएल - 2023-24-000035

दिनांक: 31.07.2023

**विषय:** भारत से जापान में पादप एवं पादप उत्पादों के निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्रों की आवश्यकता के संबंध में।

**प्रिय निर्यातक,**

वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एनएच- IV फरीदाबाद (हरियाणा) से एक पत्र प्राप्त हुआ है , जिसमें अनाज जैसे कि चावल, मक्का, गेहूं, जौ, राई, जई, ज्वार और बीन्स जैसे एडजुई बीन्स , राजमा, मटर, लोबिया, बकला (ब्रॉड बीन), सोयाबीन, मूंग सहित उपरोक्त विषय के संबंध में एफ नं. 98-02/2009-पीक्यूडी दिनांक 18.07.2023 के तहत ओएम जारी किया गया है।

यह सूचित किया जाता है कि निर्यातकों और हितधारकों से अनुरोध है कि वे गैर-अनुपालन की रिपोर्ट से बचने के लिए एनपीपीओ , जापान की पीएससी आवश्यकताओं का पूरी तरह से से पालन करें। यह विनियमन दिनांक 5 अगस्त 2023 से प्रभावी है।

कृपया डब्ल्यूटीओ/एसपीएस अधिसूचना (G/SPS/N/VPN/684/Add.1) दिनांक 6 अगस्त 2020 के माध्यम से फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र से संबंधित जापान के पादप संगरोध उपायों में परिवर्तन से संबंधित लिंक देखें।

([https://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/import/ipcfuyou/attach/pdf/sps\\_684add.pdf](https://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/import/ipcfuyou/attach/pdf/sps_684add.pdf))

(मान प्रकाश विजय)

उप महाप्रबंधक